भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

22.03.2023 के

अतारांकित प्रश्न3 सं.3639 का उत्तर

रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण

3639. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:
श्री प्रदुत बोरदोलोई:
श्री विनसेंट एच. पाला:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे अपने भावी विकास के लिए रेलवे लाइनों या स्टेशनों के किनारे अपनी भूमि निर्धारित करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में रेलवे की भूमि के एक बड़े हिस्से पर अतिक्रमण हुआ है;

(ग) यदि हां, तो रेलवे ने देश में विशेषकर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेल लाइनों के किनारे अपनी भूमि कब से निर्धारित की है;

(घ) क्या रेलवे ने पूर्व में अतिक्रमणकारियों को भूमि खाली करने के लिए कोई नोटिस दिया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस भूमि के निवासियों के पास पट्टे के दस्तावेज हैं और यहां तक कि सरकारी स्कूल भी इस भूमि से चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्िूमिनी वैष्णव)

(क) से (च): रेल लाइनों और रेलवे स्टेशनों के साथ रेल भूमि भावी यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लाइनों, रेलवे की नई स्थापनाओं के निर्माण जैसे भावी विकास के लिए चिह्नित हैं। रेल भूमि जिनकी निकट भविष्य में परिचालनिक प्रयोजनों हेतु आवश्यकता नहीं है उन्हें रेल भूमि विकास प्राधिकरण को वाणिज्यिक विकास हेतु सौंप दिया

जाता है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 782.81 हेक्टेयर रेल भूमि , जिसमें हल्द्वानी में रेल भूमि का कुछ भाग शामिल है, पर अतिक्रमण है। माननीय नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार , वर्ष 2017 में हल्द्वानी में राज्य और नगर निगम प्राधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान कुल 4,365 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई थी। रेलवे द्वारा इस अतिक्रमित भूमि के निवासियों को किसी प्रकार का पट्टा विलेख जारी नहीं किया गया है। वर्ष 2017 के संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार , इस अतिक्रमित भूमि में 5 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। वर्ष 2017 और जनवरी, 2023 में राज्य सरकार के साथ संयुक्त सर्वेक्षणों के पश्चचात् हल्द्वानी में अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे गए थे। इस समय , बेदखली की प्रक्रिया को रोक दिया गया है और यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

****